

जिला - कबीरधाम

दिनांक- 19/06/2020

थाना कोतवाली - कवर्धा

“ ठगी के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे”

पुलिस अधीक्षक श्री के. एल.धुव के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्याल - श्री बी.आर.मंडावी के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कवर्धा के अपराध कमांक 232/2020 धारा 420 भादवि अपराध कमांक 236/2020 धारा 420,34 भादवि एवं अपराध कमांक 240/2020 धारा 420 भादवि के आरोपी मोहन साहू पिता विष्णु साहू उम्र 29 साल साकिन धनौरा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ0 ग0 के द्वारा प्रार्थीगणों से पुसिल भर्ती तथा कलेक्ट्रेट में लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम से कुल तैतीस लाख रुपये धोखाधड़ी किया गया था जिसके पतासाजी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित किया गया था जिस पर से आरोपी के सकुनत ग्राम धनौरा जाकर घेराबंदी कर घर से पकड़ा गया आरोपी को पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया है । जिसमें रकम से खरीदा गया स्वीप्ट कार कमांक सीजी 09 जेजी 5070 किमती आठ लाख रुपये तथा मोटर सायकल कमांक सीजी 09 जेडी 2501 किमती साठ हजार रुपये को जप्त किया गया है । जिसे आज दिनांक18.06.2020 को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया है । इस कार्यवाही में थाना प्रभारी मुकेश सोम , उनि - संतोष ठाकुर सउनि कौशल साहू , सउनि संजय मेरावी , प्रआर 280 धन्ना सिंह , प्र.आर 297 चुम्मन साह , म.प्र.आर. 53 डेमन टेकाम , आरक्षक 381 समशेर अली , आरक्षक 236 सुमन्त पडवार , नगर सैनिक 80 अनिल पाण्डये थाना कवर्धा का सराहनीय योगदान रहा।

